

# मणिपुर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गढ़ पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार



ग्रंथ-37, अंक - 12

जून 16-30, 2023

पाक्षिक अखबार

कुल पृष्ठ-8

## मणिपुर में क्या समस्या है और इसे कौन पैदा कर रहा है?

मई के पहले हफ्ते से मणिपुर को दहला देने वाली हिंसा को समाचार माध्यमों में "दंगा" बताया जा रहा है। यह सरासर गलत सूचना है।

### यह दंगा नहीं है

दंगे का मतलब है कि लोगों की भीड़ स्वतः स्फूर्त हिंसा पर उतर आई है। लेकिन, इस समय मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, वे स्वतः स्फूर्त नहीं हैं। उन्हें बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। हिंसा में शामिल सशस्त्र गिरोहों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहना था। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और हमलों को होने दिया।

जब भी हमारे देश में किसी समूह को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, तब सरकार इन्हें दंगों का नाम देती है, जिनके लिए लोगों को दोषी ठहराती है। मिसाल के तौर पर, जब दिल्ली में नवंबर 1984 में जनसंहार हुआ था तो सरकार ने यह प्रचार किया था कि हिंदू और सिख एक-दूसरे का क़त्ल कर रहे हैं। परन्तु, हकीक़त इससे बिलकुल अलग थी।

कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने सिखों पर हमला करने के लिए विभिन्न गिरोहों को लामबंध किया था। सिखों के घरों की पहचान करने के लिए कातिलाना गिरोहों को मतदाता सूची दी गई थी। सिखों के जनसंहार को

इसी तरह, 2002 के गुजरात नरसंहार को भी "दंगे" कहा जाता है, इस हकीकत को छिपाने के लिए कि वह सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया गया एक सुनियोजित अपराध था। फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर

जब भी हमारे देश में किसी समूह को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, तब सरकार इन्हें दंगों का नाम देती है, जिनके लिए लोगों को दोषी ठहराती है। मिसाल के तौर पर, जब दिल्ली में नवंबर 1984 में जनसंहार हुआ था तो सरकार ने यह प्रचार किया था कि हिंदू और सिख एक-दूसरे का क़त्ल कर रहे हैं। परन्तु, हकीक़त इससे बिलकुल अलग थी।

जायज़ ठहराने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने खूब सारी झूठी अफ़वाहें फैलायी थीं जैसे कि "सिखों ने दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया है", आदि। इस तरह जनता में उन्माद फैलाया गया था। दिल्ली में कई हिंदू परिवारों ने अपने सिख पड़ोसियों की रक्षा की थी, उन्हें अपने घरों में आश्रय दिया था। इन बातों से अब सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन, सरकारी रिकॉर्ड में उस जनसंहार को अभी भी "सिख विरोधी दंगे" कहा जाता है।

दिल्ली में राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा को भी "दंगे" कहा जाता है।

"दंगे" शब्द का प्रयोग, हुक्मरान वर्ग, उसके नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आम लोगों को दोषी ठहराने का एक सोचा-समझा प्रयास है।

मणिपुर के मामले में, दंगा शब्द का प्रयोग और भी चौकाने वाला है, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां सशस्त्र

बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ़स्पा) लागू है। यह कानून सेना और अर्धसेनिक बलों को लोगों पर गोली चलाने और मात्र शक के आधार पर हत्या करने का अधिकार देता है। 5 मई को केंद्र सरकार ने शांति बहाल करने के नाम पर, मणिपुर में हजारों और सैनिकों को भेजा। परन्तु इसके बावजूद, आगजनी और लूटपाट जारी है। हथियारबंद गिरोहों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वाहनों को लूटते और यात्रियों की पहचान की जांच करते देखा गया है। सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के बिना कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है।

ऐसे कई जिले हैं जो शांतिपूर्ण रहे हैं, जैसे कि वे क्षेत्र जहां नगा लोगों के संगठनों का जन समर्थन है। ऐसे संगठनों ने घोषणा की है कि कोई भी वाहनों को रोकने और यात्रियों की पहचान की जांच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि जन संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र हिंसा-मुक्त रहें, तो सवाल उठता है कि केन्द्रीय और मणिपुर की सरकारें इतनी

शेष पृष्ठ 2 पर

ओडिशा में रेलगाड़ियों की भ्रान्ति टक्कर की सी.बी.आई. जांच :

## सरकार की ज़िम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश

पि छले बीस वर्षों में हुई इस सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के तुरंत बाद, सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या यह दुर्घटना किसी सोची-समझी साज़िश का नतीजा थी।

दुर्घटना के एक दिन बाद, 3 जून को रेल मंत्री ने घोषणा की कि वह जानते हैं कि इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि दुर्घटना एक मानव निर्मित आपदा थी, संभवतः जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का एक कार्य।

एक साज़िश की तरह इसकी जांच करने का काम सी.बी.आई. को सौंपने का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिकारियों द्वारा रेल सुरक्षा की आपराधिक उपेक्षा से जनता का ध्यान हटाया जा सके।

रेल मज़दूरों की यूनियनों के साथ-साथ, कई अधिकारियों ने बार-बार इस ओर इशारा किया है कि रेल सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिन्दोस्तान के महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की पिछले साल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के बुनियादी रखरखाव पर होने वाला खर्च 2017 से कम हो गया है, जिससे सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। 2012 में रेलवे सुरक्षा पर काकोदकर कमेटी ने बताया था कि



रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए अगले कुछ वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन उस कमेटी की सिफारिश को नज़रांदाज़ कर दिया गया।

### टक्करों से सुरक्षा के लिए तंत्र मौजूद नहीं हैं

रेल मन्त्रालय विज्ञापन देता रहा है कि वह दो रेलगाड़ियों के बीच की टक्कर को रोकने के लिए रेलगाड़ियों में 'कवच' नामक एक टक्कर रोधी प्रणाली स्थापित कर रहा है। हालांकि, देश की 97 फीसदी रेलगाड़ियों

में अभी इसे लागू किया जाना बाकी है। हादसे का शिकार हुई उन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यह सिस्टम नहीं था।

सिंगल प्रणाली की ख़राबी कई वर्षों से रेलवे के लिए एक गंभीर मुद्दा रही है। रेल चालाकों की यूनियनों ने ख़राब सिंगल के मुद्दे पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। समस्या का पैमाना इस तथ्य से स्पष्ट होता कि एक वर्ष में 51,238 बार सिंगल फेल होने की सूचना मिली है।

भारतीय रेल में ब्लॉक प्रूंग एक्सेल काउंटर सिस्टम है। यह प्रणाली इसलिए है कि उस सेवन पर दूसरी रेलगाड़ियों को

### अंदर पढ़ें

- पहलवानों के साथ मज़दूरों और महिलाओं के संगठन 3
- 'महिला आन्दोलन के सामने चुनौतियों' पर गोष्ठी 3
- यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संगठनों द्वारा सामूहिक बयान 4
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- अमरीकी डॉलर की दादागिरी 6
- अमरीका-मैक्सिको सीमा पर प्रवासियों पर आपराधिक हमले 7

मणिपुर में क्या समस्या है और ...

## पृष्ठ 1 का शेष

बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों और पुलिस के सहारे भी, इंफाल और अन्य क्षेत्रों में हिंसा को रोकने में कैसे असमर्थ हैं?

मणिपुर के लोग, जिनमें घाटी और पहाड़ी दोनों के लोग शामिल हैं, कई सदियों से मिलजुलकर, शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने मणिपुरी होने के नाते, अपने सांझे अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किये हैं।

इंफाल, चुरचंदपुर, मोरेह और अन्य जगहों के हिंसा प्रभावित जिलों में दिल दहलाने वाले कई हादसों वाली घटनाओं की खबरें मिली हैं – जिनमें एक समुदाय के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, दूसरे समुदाय के लोगों की रक्षा की है।

सत्ता में बैठे लोगों ने जानबूझकर मैत्रेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव पैदा किया है। उन्होंने लोगों के बीच आपसी दुश्मनी की भावनाओं को पैदा करने के लिए, सोशल मीडिया के ज़रिये झूठे प्रचार फैलाये। 3 मई की रात को, चुरचंदपुर और मोरेह में मैत्रेईयों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अगली सुबह, हथियारबंद गिरोह इंफाल में रहने वाले कुकी लोगों को जलाने, उनके घरों को लूटने और उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, पिछली रात की घटनाओं के लिए तथाकथित “बदला” लेने के लिए। आंखों देखा हाल बताने वाले लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि कातिलाना गिरोह कहीं बाहर से आये हुए लोग थे, जिन्हें वहाँ के निवासी जानते—पहचानते नहीं थे।

मणिपुर की मौजूदा स्थिति के लिए हुक्मरान दोषी हैं, न कि जनता। तबाही और हिंसा के लिए न तो कुकी और न ही मैत्रेई लोग जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत, वे इस हिंसा के शिकार हैं। मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सुरक्षा बलों, अदालतों और राज्य तंत्र के अन्य अंगों की सहायता से किया गया अपराध है। यह राजकीय आतंकवाद है। यह हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग की फूट डालो और राज करो की रणनीति का परिणाम है।

## फूट डालो और राज करो

हिन्दोस्तान पर पूंजीपति वर्ग का शासन है, जो आवादी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वर्ग की अगुवाई करने वाले लगभग 150 इजारेदार पूंजीपति हैं। पूंजीपति हिन्दोस्तान में बसे हुए सभी लोगों की भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके खुद को समृद्ध करते हैं। देशभर के मज़दूर, किसान और आदिवासी लोग इस नाजायज़, शोषक और दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ़ अपने अधिकारों की मांग को लेकर, संघर्ष करते रहते हैं। हुक्मरान वर्ग लोगों को बांटकर और दबाकर, रखने के लिए धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या आदिवासी पहचान के आधार पर, मेहनतकश लोगों के बीच लगातार दुश्मनी और आपसी झगड़े उकसाता रहता है।

लोगों की असली समस्याओं का फायदा उठाकर, हुक्मरान एक तबके के लोगों को दूसरे तबके के खिलाफ़ भिड़ा देते हैं। वे एक तबके के लोगों को दूसरे तबके की समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। इस तरह वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। सबसे पहले, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग अपनी असली स्रोत को न पहचान सकें, जो कि शोषण की पूंजीवादी व्यवस्था है और

इस व्यवस्था की हिफाज़त करने वाला हिन्दोस्तानी राज्य है। दूसरा, लोगों को एक—दूसरे के खिलाफ़ भिड़ाकर, हुक्मरान हमारी एकता को तोड़ते हैं और हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे अपने सांझे संघर्ष को कमज़ोर करते हैं। हिन्दोस्तान के सभी लोग हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की इस रणनीति का शिकार हुए हैं।

मणिपुर के नौजवान अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत करने की क्षमता और ज्ञान हासिल करने की प्यास के मामले में किसी

प्रावधान पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में, मणिपुर की राज्य सरकार को दरकिनार करने में केंद्र सरकार को सक्षम बनाता है। केंद्र सरकार ने बार—बार इस प्रावधान का इस्तेमाल करके, घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के बीच की खाई को गहरा करने का काम किया है।

हुक्मरान वर्ग के बंटवारा—कारी और अपराधी तरीकों के बावजूद, मणिपुर के लोग एकजुट होकर, अपने सांझे हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अधिकारों की हिफाज़त में और सैनिक

एकस्ट्रा ज्यूडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विकिटम फेमिलीज़ एसोसियेशन, द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में 1970 के दशक के बाद से 1,528 फर्ज़ी मुठभेड़ हत्याओं के सबूत के दस्तावेज़ पेश किये गए थे। याचिका में बताया गया था कि इनमें से किसी भी मामले में, सेना के अपराधी जवानों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

उस याचिका के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2016 को फैसला सुनाया था कि “अशांत क्षेत्र” घोषित किए जाने वाले इलाके में भी “आपराधिक अदालत में मुकदमे से संपूर्ण बचाव की कोई अवधारणा नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि “मणिपुर के अशांत क्षेत्र सहित, सशस्त्र बलों के हाथों होने वाली हर मौत की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, अगर कोई शिकायत या ग़लत इस्तेमाल या सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है।”

12 अप्रैल, 2017 को हिन्दोस्तान की सरकार ने इस फैसले पर, एक उपचारात्मक याचिका दायर की, जिसमें 8 जुलाई, 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई।

## शासन के खिलाफ़ एकजुट संघर्ष का उनका लंबा इतिहास रहा है।

### सैनिक शासन और आफ़स्पा

मणिपुर में 1950 के दशक से सैनिक शासन लागू है। शुरू में, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (आफ़स्पा) मणिपुर के नगा बसावट वाले क्षेत्रों में लागू था। इसे 18 सितंबर, 1981 को पूरे राज्य पर लागू कर दिया गया था।

आफ़स्पा को उसी तरह के अधिनियम के रूप में बनाया गया है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासनों ने 1942 में उपनिवेशवाद—विरोधी संघर्ष के बढ़ते ज्वार को कुचलने के लिए लागू किया था। हिन्दोस्तान को आज़ादी मिलने के बाद, नगा लोगों के आत्मनिर्धारण के संघर्ष को कुचलने के लिए आफ़स्पा को लागू किया गया था। इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले सभी लोगों के साथ—साथ, जम्मू—कश्मीर के लोगों के खिलाफ़ भी किया गया है।

आफ़स्पा एक क्रूर अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को शक मात्र के आधार पर

**सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि “मणिपुर के अशांत क्षेत्र सहित, सशस्त्र बलों के हाथों होने वाली हर मौत की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, अगर कोई शिकायत या ग़लत इस्तेमाल या सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है।” ... हिन्दोस्तान की सरकार ने इस फैसले पर, एक उपचारात्मक याचिका दायर की, जिसमें 8 जुलाई, 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। हिन्दोस्तान की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क दिया कि उस आदेश को लागू करना सशस्त्र बलों के मनोबल के लिए “हानिकारक होगा।”। मणिपुर में युद्ध जैसी स्थिति है और “ऐसी स्थिति में सशस्त्र बलों द्वारा लागू गए ग़लत एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस लगातार और एकजुट संघर्ष की वजह से ही अगस्त 2004 में हिन्दोस्तान की सरकार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कुछ क्षेत्रों से आफ़स्पा को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था।**

### असली उद्देश्य

इस समय, मणिपुर में बड़े पैमाने पर अराजकता और हिंसा फैलाने के पीछे असली उद्देश्य है मणिपुर में सैनिक शासन और आफ़स्पा को जारी रखने का बहाना।

40 से अधिक वर्षों के लिए, वहाँ सैनिक शासन को जायज़ ठहराने के लिए यह कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोहियों और अलगाववादियों से निपटने के लिए इसकी आवश्यकता है। इस प्रचार पर अब वहाँ के लोग बिलकुल यकीन नहीं कर रहे हैं। लोगों को साफ़—साफ़ दिखता है कि इनमें से कई गिरोह हिन्दोस्तानी राज्य की खुफिया एजेंसियों की सांठ—गांठ में काम करते हैं।

हिन्दोस्तानी सेना और विभिन्न सशस्त्र गिरोह, दोनों उन्हीं लोगों पर दमन और आतंक फैलाते हैं, जिनकी रक्षा करने का वे

लोगों को मारने, अपहरण करने, गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने, उनके घरों पर छापा मारने और तलाशी लेने का अधिकार देता है। लोगों पर किये गए अपराधों के लिए, सशस्त्र बलों के सिपाहियों पर, किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों के एक समूह,

# प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ हो रहे अव्याय के विरोध में मज़दूरों और महिलाओं के संगठनों ने जनसभा की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

**1** जून को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों व  
मज़दूर संगठनों ने महिला संगठनों के साथ मिलकर, संसद मार्ग पर एक सभा की। जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान और छात्र शामिल हुए।

इस सभा का आयोजन, विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटा व्यक्त करने और उन पर राज्य द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने के लिए किया गया था। 28 मई को विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को विरोध स्थल पर बेरहमी से घसीटा गया और पीटा गया, उन्हें जबरन पुलिस वैन में भरकर, शहर के दूरदराज के विभिन्न पुलिस थानों में बंद कर दिया गया। उन्हें अलग—अलग करने, डराने और उनका मनोबल तोड़ने के इरादे से ऐसा किया गया था।

सभा को प्रतिबंधित करने के लिये पुलिस ने भारी बैरिकेड लगाकर बेहद सीमित क्षेत्र में समेट दिया। पहले तो पुलिस ने सभा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन वहां उपस्थित



सैकड़ों लोगों के गुस्से और दृढ़ संकल्प ने एक सफल और साहसपूर्ण सभा का आयोजन सुनिश्चित किया।

प्रदर्शनकारियों ने बहादुरी से नारे लगाए — “संघर्षरत महिला पहलवानों पर हो रहे हमले मुर्दाबाद!”, “महिला पहलवानों के लिये न्याय के संघर्ष के समर्थन में एकजुट हों!”, “महिलाओं पर हिंसा मुर्दाबाद!”,

“कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाओ!”, “हमारी रोज़ी—रोटी और अधिकारों पर हमले मुर्दाबाद!”, तथा इसी तरह के और भी नारे थे। उन्होंने और भी नारों के बैनर और प्लेकार्ड लिए हुए थे।

सभा में मांग की गई कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद की तत्काल गिरफ्तारी की

एन.एफ.आई.डब्ल्यू. की 70वीं सालगिरह के अवसर पर :

## ‘महिला आब्दोलन के सामने चुनौतियां’ के विषय पर गोष्ठी

पुरोगामी महिला संगठन के संवाददाता की रिपोर्ट

**ए**न.एफ.आई.डब्ल्यू. (भारतीय महिला फेडरेशन) ने हाल में अपनी 70वीं सालगिरह मनायी। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसका विषय था — ‘बलात्कारियों की रिहाई से पहलवानों के संघर्ष तक : महिला आन्दोलन के सामने चुनौतियां’।

देश के अलग—अलग भागों से बड़ी तादाद में महिलाओं ने इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसमें अनेक महिला संगठनों — एडवा, पुरोगामी महिला संगठन, आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, जॉइंट विमेंस प्रोग्राम — और कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया तथा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार पेश किये।

पुरोगामी महिला संगठन के प्रतिनिधि द्वारा गोष्ठी में पेश किये गए विचारों को यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

### मेरी प्यारी बहनों और साथियों,

एन.एफ.आई.डब्ल्यू. को बहुत—बहुत बधाई, कि वह इतने सालों से इस देश की महिलाओं को पूंजीवादी शोषण, सामंती रिवाजों, पितृस्त्वावादी शोषण और हर प्रकार के शोषण—दमन के खिलाफ़ लामबंध करता आया है।

आज हमारे पहलवानों का संघर्ष इस देश की महिलाओं की आवाज़ के रूप में आगे आ रहा है — यह हमें बहुत कुछ बता रहा है।

पहला कि महिलाओं पर हिंसा, यौन शोषण — यह इस समाज के कोने—कोने में, जीवन के हर पहलू में कितनी गहराई से बसी हुयी, एक हकीकत है।

दूसरा, कि धनवान लोगों, बड़े—बड़े पूंजीपतियों, सत्ता में बैठे, ऊंचे पदों पर बैठे, आधिकारिक स्थानों पर बैठे लोगों द्वारा अपने रुटबे का फायदा उठाकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, यह हमारे समाज में एक सामान्य बात है।

तीसरा, हमारी रक्षा करने के नाम से बनाये गए संस्थान हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि धनवानों, सत्ता पर बैठे लोगों की ही रक्षा करते हैं।

चौथा, कि अदालत से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता — बिलकिस बानो का दर्दनाक किस्सा, इंसाफ के लिए उसका कठिन संघर्ष और अदालत द्वारा गुनहगारों की रिहाई — यह चीख—चीख कर हमें यही कह रहा है।

पांचवा, जिन्हें हम चुनकर अपने प्रतिनिधि बताए विधान सभा और संसद में भेजते हैं, वे ही हमारे खिलाफ़ काम करते हैं और हम उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उनसे जवाब नहीं मांग सकते। उन्हें वापस नहीं बुला सकते। उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर सकते, न अपने हित में कानून बना सकते हैं और न ही किसी कानून को अपने हित में बदल सकते हैं। किसान—विरोधी कानून, चार लेबर कोड, वन—आदिवासी अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून — ये सब हमारे हितों का सरासर हनन हैं और इन्हें रद्द करवाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर, नोटबंदी, जी.एस.टी., इन पर किसी संसद या विधान सभा में चर्चा करके फैसले नहीं लिए गए। यानि कोई भी नीतिगत फैसला लेने के लिए हमारे पास कोई ताक़त नहीं है। यह ताक़त तो सिर्फ़ सरकार के मंत्रिमंडल के ही पास है।

और ये सब इस व्यवस्था के अन्दर सामान्य घटनाएं हैं — इस या उस राजनीतिक पार्टी की सरकार केंद्र में, किसी राज्य में आयी, लेकिन इन हालातों में कोई बदलाव नहीं आया।

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक कल्लेआमों में जो महिलाएं बलात्कार और यौन उत्पीड़न का शिकाय बनी, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला, बलात्कारियों को आज तक सजा नहीं मिली, चाहे यह 1984 में सिखों के

जाये और उस पर मुकदमा चलाया जाये। 28 मई को जंतर—मंतर पर कपर्यू जैसी स्थिति बनाये जाने की कड़ी निंदा भी की गई। प्रदर्शनकारी पहलवानों और कई कार्यकर्ताओं के बचाव में होने वाली “महिला सम्मान महापंचायत” में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के संगठनों को शामिल होने से रोका गया तथा उन्हें कई घंटे तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। इस सभा को रोकने के राज्य के प्रयासों की भी निंदा की गई।

कार्यस्थल पर और समाज में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ़ सभा में एक जु़ज़ार आवाज़ बुलंद की गई।

सभा को संबोधित करने वाले प्रतिभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों की आजीविका और अधिकारों पर हो रहे चौतरफा हमलों की

शेष पृष्ठ 4 पर

कल्लेआम में, 1992 में बाबरी मस्जिद के धंस से बारे गए संस्थान हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि धनवानों, सत्ता पर बैठे लोगों की ही रक्षा करते हैं।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के बारे में इतने सालों से संघर्ष करके हम महिलाओं ने जो—जो शर्त कानून में डालवाने की कोशिशें की, उसके बावजूद, आज भी अधिकांश पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को यौन उत्पीड़न से छुटकारा नहीं मिला है। उन शर्तों को — मसलन, हर संस्था में यौन उत्पीड़न पर अंदरूनी शिकायत कमेटी का होना — हर पीड़ित महिला को सुनिश्चित करने के लिए न तो उस समय की सरकार ने कोई क़दम लिया, न उसके बाद आई किसी सरकार ने।

तो साफ़ है कि यह समस्या इस या उस सरकार को चुनकर लाने से हल नहीं होने वाली है। यह भी साफ़ है कि महिलाओं पर शोषण सभी मेहनतकशों पर पूंजीवादी शोषण का ही एक हिस्सा है। महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन न मिलना, इनसे सभी मज़दूरों को दबाया और कम वेतन पर, असुरक्षित हालतों में काम करने को मज़बूर किया जाता है।

तो इससे मुक्ति पाने की आक़ांक्षा के साथ आज देश की महिलाएं आगे आ रही हैं, पहलवानों के समर्थन में संघर्ष के ज़रिये अपने इस सारे दुःख—दर्द को प्रकट कर रही हैं।

इससे मुक्ति पाने के लिए हम आज किसी दूसरी, पूंजीपतियों की विश्वसनीय पार्टी जो इसी पूंजीवादी शोषण—दमन की व्यवस्था को चलायेगी — उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उसी कुचक्र में नहीं फंस सकते, जिसमें अब तक बार—बार फंसते आये हैं।

जब तक बड़े—बड़े इजारेदार पूंजीपति पैदावार के मुख्य साधनों के मालिक बने

रहेंगे, और उन्हीं के करोड़ों रुपयों पर पली हुयी पार्टियों की सरकार होगी, वह सरकार उन्हीं की सेवा में काम करेगी। वह सरकार इसी व्यवस्था को बरकरार रखेगी जिसमें पूंजीपतियों को फ़ायदा है। और तब तक हम मेहनतकश स्त्री—पुरुषों के हाथ में न तो अर्थव्यवस्था को अपने हित में चलाने की ताक़त होगी और न ही मेहनतकशों के हित में कोई फैसले लेने की ताक़त होगी।

अब वक्त आ गया है, एक नए समाज, एक नयी व्यवस्था के बारे में सोचने और उसके लिए संगठित होने का, मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान, आदिवासी, दलित, हर उत्पीड़ित तबके को एकजुट करके, उस नए समाज की ओर लामबंध होने का। एक ऐसा नया समाज, एक ऐसी नयी व्यवस्था, जिसमें इस देश की दौलत को पैदा

महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामूहिक आह्वान :

## आरोपी को माफ़ करने के रिवाज़ को ख़त्म करो और आरोपी बृज भूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो

यौन उत्पीड़न के खिलाफ़ व्याय के लिये संघर्ष करने वाले पहलवानों पर राज्य के दमन और पुलिस के अत्याचार की निंदा करते हुए,  
6 जून, 2023 को महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामूहिक बयान जारी किया गया

**जि**स तरह से दिल्ली पुलिस, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर कानून को तोड़ने में कामयादी हासिल की है तथा नाबालिंग सहित महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बावजूद भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को पुलिस की गिरफ्त से बाहर रखा है, हम अधोस्ताक्षरी महिला और मानवाधिकार संगठन उसकी निंदा करते हैं।

यह सर्वविदित है कि प्रभावशाली और अच्छी तरह से राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, जिनमें विधायिका के सदस्य और धर्मगुरु शामिल हैं, गवाहों को डराने-धमकाने सहित विभिन्न तरीकों के जरिये कानून में हेरफेर कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामलों में शिकायतकर्ताओं को अक्सर अपने बयान को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। दबाव इतना अधिक होता है कि परिवार वाले घुटने टेक देते हैं और आरोपी बच जाते हैं।

पहलवानों के मामले में नाबालिंग के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहते हुये सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि बृजभूषण

सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है। लड़की के पिता को यह डर था कि पीड़िता को डराया-धमकाया जायेगा और उस पर दबाव बनाया जाएगा। नाबालिंग, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) / 34 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम (पी.ओ. सी.एस.ओ.) के तहत कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी 0077 / 2023 में मुख्य गवाही दी थी और जिसने मई 2023 में न्यायाधीश के सामने एक शपथपत्र पेश करते हुये बयान भी दिया था।

पी.ओ.सी.एस.ओ. में यह माना जाता है कि अपराध हुआ है, विशेष रूप से जब न्यायाधीश के सामने बयान हो चुका हो, इसलिए गिरफ्तारी ज़रूरी होती है। चूंकि प्राथमिक गवाह नाबालिंग है, इसलिए कानून दबाव के प्रति संवेदनशील है। इन कारकों के बावजूद, अभियुक्त बृजभूषण सिंह गिरफ्तार होने के डर से मुक्त, खुलेआम घूम रहा है। तत्काल गिरफ्तारी न करने का परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज होने के पांच सप्ताह बाद, यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2 जून को नाबालिंग ने न्यायाधीश के सामने अपने मूल बयान को बदलते हुये दूसरा बयान दिया है।

हमें बहुत स्पष्ट है कि यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र रूप से जांच की निगरानी करे और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन, हम यह बताना चाहते हैं कि इस देश में गवाहों की सुरक्षा का कोई कानून नहीं है और एक बार फिर आपराधिक न्याय प्रणाली ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हमारी महिलाओं को विफल कर दिया है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जांच जारी रखनी चाहिए और तुरंत बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और दूसरी प्राथमिकी 0078 / 2023, धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) / 34, सहित मजबूत चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए जिसमें छः महिला पहलवान शिकायतकर्ता हैं।

हम मांग करते हैं कि 28 मई, 2023 को पहलवानों पर की गई क्रूर हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग के साथ विरोध प्रदर्शन को तोड़ दिया, पहलवानों को हिरासत में ले लिया और उन्हें जंतर-मंतर से खदेड़ दिया। उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी संख्या 60 / 2023 में अपराधियों के रूप में नामित किया जाना जारी है। हम इसके तत्काल निपटारे की मांग करते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य, हिन्दोस्तान के लिए कई पुरस्कार जीतने वाले पहलवानों की मदद करने के बजाय, उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा है, जिसमें आगामी खेल आयोजनों के लिए चयन और भारतीय रेल में उनकी नौकरी से संबंधित खतरा भी शामिल है।

यह गहरी पीड़ा का क्षण है कि यौन हिंसा के खिलाफ़ कानून को मजबूत करने और शिकायतकर्ताओं को न्याय के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के पिछले पांच दशकों के न्यायशास्त्र के बावजूद भी, पहलवानों के मामले में हुए घटनाक्रम से हमें यही पता चलता है कि दंड से मुक्ति का चलन कितनी गहराई से अंतर्निहित है तथा भाजपा द्वारा प्रबलित किया गया है।

हम अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं तथा आरोपी बृजभूषण सिंह को भाजपा से मिले समर्थन की निंदा करते हैं, कि उन्हें यूपी के कैसरगंज और अन्य शहरों में आगामी भाजपा रैलियों को संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के सार्वजनिक महिमामंडन और वैधता को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश में बलात्कार और यौन हिंसा से लड़ने वाली महिलाओं के लिए विनाशकारी और हतोत्साहित करने वाला होगा।

महिला आंदोलन और अन्य सामाजिक आंदोलन वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, इससे पहले कि और गवाहों को धमकाया जाए, जिसकी शुरुआत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से होनी चाहिए। हमारे पहलवानों के न्याय और सम्मान की लड़ाई उनकी अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि कानून के शासन को लागू करने की लड़ाई है।

### हस्ताक्षर कर्ता :

आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.) से मरियम धावले, आल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन्स एसोसिएशन (एपवा) से मीना तिवारी, आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.) से रितु कौशिक, एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी (ए.एन.एच.ए.डी.) से शबनम हाशमी, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वीमेन (सी.एस.डब्ल्यू.) से माया जॉन, इंडियन क्रिस्चियन वीमेन्स मूवमेंट, दिल्ली (आई.सी.डब्ल्यू.एम.-दिल्ली) से सुषमा रामास्वामी, लॉर्यर्स कलेक्टिव के सचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.) से एनी राजा, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) से कविता श्रीवास्तव, प्रगतिशील महिला संगठन से पूनम कौशिक, पुरोगामी महिला संगठन से सुचरिता बीके, सहेली वीमेन्स रिसोर्स सेंटर से बाणी सुब्रमण्यम, यंग वीमेन्स क्रिस्चियन एसोसिएशन से धीया एन. मैथ्यू।

<http://hindi.cgpi.org/23685>

### पहलवानों के साथ हो रहे अव्याय के विरोध में जनसभा

#### पृष्ठ 3 का शेष

निंदा की। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संस्थान स्पष्ट रूप से सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी कारपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करते हैं। कदम-कदम पर लोगों के अधिकारों और हितों का हनन हो रहा है। गिर इकोनॉमी में पूंजीपति वर्ग मज़दूरों को कम से कम वेतन देकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा बनाता है।

सभा का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि – मौजूदा व्यवस्था में उत्पीड़ितों और शोषितों के सभी तबकों का एकजुट संघर्ष तथा मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नई व्यवस्था के निर्माण के दृष्टिकोण से किया

जाने वाला एकजुट संघर्ष ही – आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

जिन ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने सभा का आह्वान किया था, उनमें शामिल थे – मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.), एटक, एच.एम.एस., सीटू ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, ए.आई.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू. और आई.एफ.टी.यू।

जिन महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से रैली का आह्वान किया था, उनमें शामिल थे – ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए., एन.एफ.आई.डब्ल्यू.ए.आई.पी.डब्ल्यू.ए., पुरोगामी महिला संगठन, ए.आई.एम.एस.एस., सहेली, प्रगतिशील महिला संगठन, सी.एस.डब्ल्यू. और आई.सी.डब्ल्यू.एम।

<http://hindi.cgpi.org/23677>

## सरकार की जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश

### पृष्ठ 1 का शेष

ने रेलवे के मुख्यालय को लिखा कि खराब सिग्नलिंग उपकरण के कारण मैसूर डिवीजन पर दो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर होते-होते बच गई। रेल चालक द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से टक्कर टल गई, जिसने ग़लत ग्रीन सिग्नल देखकर रेलगाड़ी को रोक दिया। अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि 'घटना इंगित करती है कि सिस्टम में गंभीर ख़ामियां हैं ... यह इंटरलॉकिंग के मुख्य काम और बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।' सिग्नल पर रेलगाड़ी के चलने के बाद, पैनल पर ट्रैक के सही दिखने के साथ, डिस्प्लैय का ट्रैक बदल जाता है। इसका मतलब है कि रेल चालक को लगता है कि वह सही पटरी पर जा रहा है, लेकिन असल में पटरी को बदलकर ग़लत पटरी पर कर दिया गया है।

9 फरवरी के उनके पत्र में यह भी कहा गया है कि "वर्तमान घटना को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और सिस्टम की ख़ामियों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है और साथ ही कर्मचारियों को काम में शॉर्टकट न लेने के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है।"

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चार महीने से भी कम समय पहले की गई इस शिकायत पर रेल मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की।

### रखरखाव में लापतवाही

रेलवे की 15,000 किमी से ज्यादा पटरियां ख़राब हैं और इन्हें तत्काल मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है। हर साल 4,500 किमी की रेल पटरियों के नवीनीकरण का काम बाकी रह जाता है। हर साल लगभग 2,000 किलोमीटर का नवीनीकरण होता है। इस प्रकार, साल-दर-साल ख़राब पटरियों की कुल लंबाई बढ़ रही है।

रेल की पटरियों को इस्तेमाल अधिक से अधिक होता है जिसकी वजह से वे व्यस्त रहती हैं। इस वजह से नियमित रखरखाव के काम को करने के लिए उपलब्ध समय घट रहा है। मज़दूरों की कमी के कारण पटरियों के निरीक्षण में 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की कमी है।

ऐसी ख़राब और खतरनाक पटरियों पर हर रोज़ और हर घंटे तेज़ गति से रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों और रेलकर्मियों के जीवन खतरे में हैं।

मालगाड़ियों में पटरियों के लिए तयशुदा भार से अधिक वजन होता है। इससे पटरियों में तेज़ी से टूट-फूट होती है। दूसरे देशों में जहां सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, उनके लिए अलग नई पटरियां बिछाई जाती हैं। हमारे देश में रेल चालकों की यूनियनों की शिकायत है कि उन्हें सुपरफास्ट गाड़ियों को उसी पुरानी पटरी पर तयशुदा गति से अधिक तेज़ चलाना पड़ता है। इससे जान को ज्यादा खतरा है।

दिसंबर 2022 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार सालों में भारतीय रेल में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के 1129 मामले हुए हैं। इनमें से अधिकांश गाड़ियों के पटरी से उतरने की

ख़बर मीडिया में नहीं आती, क्योंकि इनमें मालगाड़ी शामिल होती है। हालांकि, इन मामलों में भी संबंधित रेलकर्मी ही मारे जाते हैं या घायल होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बेहिसाब नुकसान पहुंचता है।

रेलवे के कई पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिनका न तो ठीक से रखरखाव किया जाता है और न ही नवीनीकरण किया जाता है। इस तरह के पुलों के गिरने से पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। रेल पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

2019-2020 की सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा

अपने आप में अमानवीय है। यहां तक कि इन अमानवीय घंटों को नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है, जिससे रेल चालकों के स्वास्थ्य और रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों और अन्य रेल कर्मचारियों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ रही है। रेलगाड़ियों में सफर करने वालों के लिए यह बेहद खतरनाक है। एक रेल चालक को हर किमी पर एक सिग्नल मिलता है, जो गति के हिसाब से हर एक या दो मिनट में एक सिग्नल होता है। उसे उसी हिसाब से रेलगाड़ी को नियंत्रित करना होता है। रेलवे के कई ज़ोनों में रेल चालकों की कमी का हवाला देकर मौजूद रेल चालकों को निर्धारित ड्यूटी

करने की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने पर पैसा ख़र्च करने से इनकार किया है।

यह चौकाने वाला है, लेकिन सच है कि हर दिन औसतन 2-3 ट्रैक मैटेनर काम के दौरान मर जाते हैं, जिनकी संख्या हर साल सैकड़ों की में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पर काम का अधिक बोझ होता है और साथ-साथ स्टाफ की कमी होती है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

### महत्वपूर्ण पुर्जों की आउटसोर्सिंग

भारतीय रेल के निजीकरण के अभियान के हिस्से के रूप में, रेल मंत्रालय निजी कंपनियों को महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति को आउटसोर्स कर रहा है। इनमें कोचों और वैगनों के एक्सल शामिल हैं जो ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। निजी ऑपरेटरों द्वारा आपूर्ति किए गए एक्सल की गुणवत्ता ख़राब होने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

बी.पी.ए.सी. सिस्टम, जिसे मैसूर मामले में दोषपूर्ण पाया गया था, रेलवे को जिसकी आपूर्ति कई निजी कंपनियों द्वारा की जाती है।

### निष्कर्ष

रेल कर्मचारियों की यूनियनों के साथ-साथ मज़दूर वर्ग के अन्य संगठन, बार-बार रेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता की ओर इशारा करते रहे हैं। लेकिन सरकारों ने लगातार इन ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार किया है। बालासोर की त्रासदी इस आपराधिक उपेक्षा का एक परिणाम है।


रेल हादसों के लिए रेल कर्मचारियों को दोष देना सभी सरकारों की आदत रही है। इस तरह वे यात्रा करने वाली जनता को रेल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करते हैं।

हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के पीछे संभावित साज़िश की जांच की बात करके सरकार समस्या की जड़ से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।

समस्या का मूल कारण यह है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित पूरी अर्थव्यवस्था पूँजीवादी मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। निजीकरण, आउटसोर्सिंग और लाभ को ज्यादा से ज्यादा करने के परिणामस्वरूप, भारतीय रेल कर्मचारियों की भारी कमी, रखरखाव और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा से ग्रस्त है।

<http://hindi.cgpi.org/23690>

### कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन



यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी। इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : 9868811998, 9810167911

## અમરીકી ડૉલર કી દાદાગિયી

**ડ**સ વર્ષ માર્ચ કે અંતિમ સપ્તાહ મેં ચીન દ્વારા સંયુક્ત અરબ-અમીરાત (યૂ.઎.ઇ.) સે ખરીદે ગાએ 65,000 ટન તરલીકૃત પ્રાકૃતિક ગૈસ (એલ.એન.જી.) કે ભુગતાન કે લિએ ચીન કી મુદ્રા યુઆન કા ઉપયોગ કિયા ગયા થા। સહી અરબ ને અપને તેલ કા કુછ હિસ્સા, યુઆન મુદ્રા મેં ચીન કો નિર્યાત કરને મેં રુચિ દિખાઈ હૈ। સહી અરબ ને કેન્યા કી તેલ કંપનીઓ કો તેલ કે ભુગતાન કે રૂપ મેં કેન્યા કી મુદ્રા (કરેંસી) કેન્યાઈ-શિલિંગ કો સ્વીકાર કરને કે લિએ કેન્યા કી સરકાર કે સાથ એક સમજીતે પર ભી બાતચીત કી હૈ। યે સૌદે, અંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર મેં અમરીકી ડૉલર કે અલાવા અન્ય મુદ્રાઓ કા ઇસ્તેમાલ કરને કી પ્રવૃત્તિ કા હિસ્સા હૈ, જિસમે હિન્દોસ્તાન ઔર ચીન દ્વારા રૂસી તેલ કી ખરીદ ભી શામિલ હૈ।

યે વ્યાપાર સૌદે ઇસલિયે મહત્વપૂર્ણ હૈન્ ક્યાંકિ પિછે પાંચ દશકો સે દુનિયા કે દેશોને મેં સમી પ્રમુખ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદોની કી બિક્રી, કેવલ અમરીકી ડૉલર મેં કી જાતી રહી હૈ। વાસ્તવ મેં, યૂરોપ, જો કી દુનિયા મેં પેટ્રોલિયમ કા સબસે બડા આયાતક હૈ, જહાં પર પેટ્રોલિયમ કા 85 પ્રતિશત આયાત અમી ભી અમરીકી ડૉલર મેં હી હોતા હૈ।

ગૌરતલબ હૈ કી અમરીકી ડૉલર કે અલાવા, અન્ય મુદ્રાઓ મેં પેટ્રોલિયમ વ્યાપાર કરને કે પહલે કે પ્રયાસોની કી અમરીકા દ્વારા હિસ્ક વિરોધ કિયા ગયા થા। ઇરાક ને અક્તૂબર 2000 મેં યહ ઘોષણા કી થી કી વહ યૂરોપ કો અપના તેલ યૂરો મુદ્રા મેં બેચેગા। અમરીકા ને તમી સે ઇરાક પર હમલા કરને કી તૈયારી શરૂ કર દી થી।

અમરીકા ને એક કહાની ગઢી કી ઇરાક કે પાસ સામૂહિક વિનાશ કે હથિયાર હૈન્। યહ એક એસા દાવા થા જિસકી પુષ્ટિ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ કે વિશેષ નિરીક્ષકોને દ્વારા ભી નહીં કી ગઈ થી, જિન્હેં ઇસ દાવે કી જાંચ કરને કે લિએ હી ઇરાક ભેજા ગયા થા। 2003 મેં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ કે કિસી ભી નિર્ણય કે બિના, અમરીકા ઔર ઉસકે મિત્રોને ઇરાક પર આક્રમણ કરકે, ઇરાક કે રાષ્ટ્રપતિ સદ્દામ હુસૈન કો ગિરફ્તાર કિયા ઔર બાદ મેં દિસંબર 2006 મેં ઉનકી હત્યા કર દી। ઇસી તરહ 2008 મેં લીબિયા પર પ્રતિબંધ લગાએ જાને કે બાદ, અમરીકા ઔર ઉસકે સહયોગીઓને ને લીબિયા પર આક્રમણ કિયા ઔર લીબિયા કે નેતા ગદ્દાફી કી હત્યા કર દી। લીબિયા કી સરકાર અપને ડૉલર ખાતોને કે સંચાલન મેં અમરીકા દ્વારા લગાએ ગાએ પ્રતિબંધોની કી કિસી તરહ ટાલને કે પ્રયાસ કર રહી થી। લીબિયા કી સરકાર ને અપને તેલ કો સોને સે સમર્થિત એક મુદ્રા મેં બેચેને કી યોજના બનાઈ થી। ઝૂઠે બહાનોને કે તહત અમરીકા ઔર ઉસકે મિત્રોને કે નેતૃત્વ મેં કી ગઈ સૈન્ય કાર્વાઇયોને કે જારી ઇરાક ઔર લીબિયા દોનોં દેશોનો કો બુરી તરહ તબાહ કિયા ગયા। પરન્તુ સૈન્ય હમલે શરૂ કરને કા અસલી કારણ યાં સુનિશ્ચિત કરના થા કી અમરીકી ડૉલર મેં તેલ વ્યાપાર જારી રહે તાકિ અમરીકી ડૉલર કી, આરક્ષિત મુદ્રા (રિઝર્વ કરંસી) કી સ્થિતિ કો બરકરાર રખને કે રાસ્તે મેં કોઈ ચુનૌતી ન પૈદા હો સકે।

રિઝર્વ મુદ્રા કી અર્થ હૈ કી યહ મુદ્રા અંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર મેં વ્યાપક રૂપ સે સ્વીકાર કી જાતી હૈ। ઇસકા મતલબ હૈ કી વ્યાપાર કે સૌદે ઉસી મુદ્રા મેં કિએ જાતે હૈન્ ઔર અધિકાંશ સરકારોને અંતરાષ્ટ્રીય બાજાર સે આયાત કરને કે લિએ ઉસી મુદ્રા કી ભંડાર રખતી હૈન્।

અમરીકી ડૉલર કે વિશે કી રિઝર્વ મુદ્રા હોને સે, અમરીકા કો ઇસકા બહુત બડા ફાયદા હોતા હૈ। સબસે પહલા ફાયદા યાં કી ગઈ નેતૃત્વ મેં કો બુરી તરહ તબાહ કિયા ગયા। પરન્તુ સૈન્ય હમલે શરૂ કરને કા અસલી કારણ યાં સુનિશ્ચિત કરના થા કી અમરીકી ડૉલર મેં તેલ વ્યાપાર જારી રહે તાકિ અમરીકી ડૉલર કી, આરક્ષિત મુદ્રા (રિઝર્વ કરંસી) કી સ્થિતિ કો બરકરાર રખને કે રાસ્તે મેં કોઈ ચુનૌતી ન પૈદા હો સકે।

**ઝૂઠે બહાનોને કે તહત અમરીકા ઔર ઉસકે મિત્ર રાષ્ટ્રોને કે નેતૃત્વ મેં કી ગઈ સૈન્ય કાર્વાઇયોને કે જારી ઇરાક ઔર લીબિયા દોનોં દેશોનો બુરી તરહ તબાહ કિયા ગયા। પરન્તુ સૈન્ય હમલે શરૂ કરને કા અસલી કારણ યાં સુનિશ્ચિત કરના થા કી અમરીકી ડૉલર મેં તેલ વ્યાપાર જારી રહે તાકિ અમરીકી ડૉલર કી, રિઝર્વ મુદ્રા કી સ્થિતિ કો બરકરાર રખને કે રાસ્તે મેં કોઈ ચુનૌતી ન પૈદા હો સકે।**

કર્જ પાને મેં સક્ષમ હોતા હૈ જો આયાત કે મુકાબલે જ્યાદા નિર્યાત કરતે હૈન્ ઔર જિનકે પાસ બેશી (સરપ્લસ) અમરીકી ડૉલર હોતે હૈન્ ઔર જિન્હેં વે અમરીકી ટ્રેજરી બાંડ મેં નિવેશ કરતે હૈન્। દૂસરા ફાયદા યાં હોતા હૈ કી અમરીકા કો ઉચ્ચ ઘરેલું મુદ્રાસ્ફીતિ કા સામના કિએ બિના, બડી સંખ્યા મેં ડૉલર છાપને કી છૂટ મિલ જાતી હૈ ક્યાંકિ ઇન્હોનોનું એક બડા હિસ્સા અમરીકા કે ભીતર નહીં રહતા હૈ – અમરીકી ડૉલર કા વ્યાપક રૂપ સે અંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર મેં ઉપયોગ કિયા જાતો હૈ, વ્યાપારિક લેનદેન

ઇસીલિયે, અમરીકા હર કીમત પર અમરીકી ડૉલર કો દુનિયા કી રિઝર્વ કરંસી કે રૂપ મેં કાયમ રખના ચાહતા હૈ। ડૉલર કે આધિપત્ય કો દી ગયી કિસી ભી ચુનૌતી કા મુકાબલા કરને કે લિએ, અમરીકા ને સૈન્ય હસ્તક્ષેપ કા સહારા લિયા હૈ।

**અમરીકી ડૉલર દુનિયા કી રિઝર્વ મુદ્રા કેસે બના?**

20વીં શતાબ્દી કે શુરૂઆતી વર્ષો તક, અંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર કે લિયે મુદ્રા કે રૂપ મેં સોને કો સ્વીકાર કિયા જાતો હૈ। સમી

**અમરીકી ડૉલર કે વિશે કી રિઝર્વ મુદ્રા હોને સે, અમરીકા કો ઇસકા બહુત બડા ફાયદા હોતા હૈ। સબસે પહલા ફાયદા યાં હૈ કી અમરીકા ઉન દેશોને સે સસ્તા કર્જ પાને મેં સક્ષમ હોતા હૈ જો આયાત કે મુકાબલે જ્યાદા નિર્યાત કરતે હૈન્ ઔર જિનકે પાસ બેશી (સરપ્લસ) અમરીકી ડૉલર હોતે હૈન્ ઔર જિન્હેં વે અમરીકી ટ્રેજરી બાંડ મેં નિવેશ કરતે હૈન્। દૂસરા ફાયદા યાં હોતા હૈ કી અમરીકા કો ઉચ્ચ ઘરેલું મુદ્રાસ્ફીતિ કા સામના કિએ બિના, બડી સંખ્યા મેં ડૉલર છાપને કી છૂટ મિલ જાતી હૈ ક્યાંકિ ઇન્હોનોનું એક બડા હિસ્સા અમરીકા કે ભીતર નહીં રહતા હૈ**

**એક બડા હિસ્સા અમરીકા કે ભીતર નહીં રહતા હૈ**

કો સુવિધાજનક બનાને કે લિએ બડી સંખ્યા મેં ઉનકી આવશ્યકતા હોતી હૈ। ઇસ પ્રકાર, અમરીકા કો એક બડે વ્યાપાર-ઘાટે કો બનાયે રખને કી સુવિધા પ્રાપ્ત હો જાતી હૈ, અમરીકા કો આયાત કરને કે લિએ, જિતના ચાહિએ ઉત્તને ડાલરોનો કો છાપને કી છૂટ મિલ જાતી હૈ ક્યાંકિ વિશે બાજાર મેં ડૉલર કી હમેશા મા

अमरीकी साम्राज्यवाद की आप्रवासन नीति :

## अमरीका-मैक्सिको की सीमा पर आप्रवासियों पर आपराधिक हमले

**पि**छले दशकों में मैक्सिको सीमा के पार से आए आप्रवासियों को अमरीकी साम्राज्यवादियों ने गुलाम मज़दूर माना है। अमरीका की आबादी का लगभग 7 प्रतिशत दक्षिण अमरीका से आये हुये आप्रवासी हैं। दक्षिण अमरीका विभिन्न देशों जैसे कि ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल-सल्वाडोर के साथ-साथ मैक्सिको और अन्य देशों के लोग अमरीका में प्रवेश करने की उम्मीद के साथ सीमा पर इकट्ठा होते हैं। उनके देशों में मौजूद ग्रीष्मी, हिंसा और ढेर सारी अन्य समस्याएं, उन्हें अमरीकी सीमा की ओर धकेल रही हैं।

ये आप्रवासी अमरीकी अर्थव्यवस्था में साफ़-सफाई, निर्माण और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विभिन्न व्यवसायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें लगातार देश से निकाल दिए जाने की धमकी बार-बार दी जाती रहती है। अमरीकी राज्य द्वारा लगातार प्रचार किया जाता है कि वे अमरीकी मज़दूरों की नौकरियां "छीन" रहे हैं। वे आप्रवासी उग्र नस्लवादी हमलों और सामाजिक पराधीनता का सामना करने के लिए विवश हैं। देश निकाला के ख़तरे का सामना करते हुये और नए वातावरण में अपने-आपको व्यवस्थित करने का संघर्ष कर रहे, पूंजीपतियों द्वारा उन आप्रवासियों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। उन्हें आधिकारिक न्यूनतम मज़दूरी से बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। वे बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि एक न एक दिन तो उन्हें अमरीकी नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा।



इस वक्त अमरीका-मैक्सिको की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। 12 मई को 'टाइटल 42' नामक कानून ख़त्म हो गया। सन 2020 के मार्च में पारित किये गये इस कानून ने अमरीकी सीमा के अधिकारियों को अमरीका में कोविड के प्रसार को रोकने के नाम पर मैक्सिको की सीमा से अमरीका में प्रवेश करने और शरण मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने की अनुमति दी थी। हालांकि अमरीकी सरकार ने एक साल से भी अधिक समय पहले ही कोविड आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, फिर भी इस कानून को लागू रखा गया है। व्यापक रूप से यह ज्ञात है कि सीमा पर संभावित आप्रवासियों पर हमला करने के लिए ट्रम्प सरकार ने उस कानून को लागू किया था। इसी उद्देश्य के साथ बाइडन सरकार ने भी उस कानून को जारी रखा है।

बाइडन सरकार सीमा पर संभावित आप्रवासियों पर हमला करने के लिए अब और भी सख्त कानून बना रही है। शरण

मांगने के जिन लोगों के आवेदन नामंजूर कर दिए गए हैं, वे अगले पांच साल की अवधि के लिए फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैक्सिको के अलावा अन्य देशों के संभावित आप्रवासियों ने अगर अमरीका आने के रास्ते में किसी अन्य देश में शरण मांगने के लिए आवेदन किया था तो उन्हें यह सावित करना होगा कि उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया था। नहीं तो अमरीका में शरण मांगने का उनका आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा और उन्हें उनके गृह देश में भेज दिया जाएगा।

दसों हजार आप्रवासी इस उम्मीद से अमरीकी सीमा पर इकट्ठा हो गए हैं कि टाइटल 42 कानून के ख़त्म होने पर सीमा को पार करने का उनका रास्ता आसान हो जाएगा। अधिकांश लोगों को वापस लौटने के लिए मज़बूर कर दिया गया है। अमरीकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सी.बी.पी.) ने हाल के दिनों में अपने कारावास शिविरों में 28,000 आप्रवासियों को रखा है, जो कि इसकी घोषित क्षमता से कहीं अधिक है।

आप्रवासियों को उचित भोजन, पीने का पानी, स्वास्थ्य देखभाल और साफ़-सफाई के बिना सबसे अमानवीय परिस्थितियों में इन शिविरों में रहने के लिए मज़बूर किया जाता है। वे एक बेहद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

अमरीका लगातार यह प्रचार करता है कि विभिन्न देशों के लोग अपने देशों की तुलना में अमरीका में बेहतर जीवन जीने की उम्मीद से अपने घरों और परिवारों को छोड़कर यहां आने को बेताब हैं। उसका यह प्रचार, ऐसी स्थिति पैदा करने में अमरीका की उस भूमिका को छुपाता है जिसकी वजह से लोग अपना घर-बार छोड़ने को मज़बूर हुए हैं। अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मध्य और दक्षिण अमरीका के अनेक देशों में शासन करने वाले प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के साथ मिलीभगत करके, इन देशों के लोगों की भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का बर्बरतापूर्वक शोषण करती हैं। इन कंपनियों ने लोगों को ग्रीष्मी और बर्बादी की ओर धकेला है। अमरीका ने कुछ देशों पर अमानवीय प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि इन देशों की सरकारों ने अमरीकी दबदबे को मानने से इनकार किया है। कुछ देशों में अमरीकी समर्थक सत्ताओं को लाने के उद्देश्य से उसने वहां पर गृहयुद्ध छेड़े हैं।

सबसे पहले तो अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा फैलाई गई तबाही के कारण लोगों को अपने देशों से पलायन करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है। शरण मांगने वाले आप्रवासियों पर अमरीका द्वारा किये जा रहे आपराधिक हमलों के लिए उसकी निंदा की जानी चाहिए।

<http://hindi.cgpi.org/23643>

### अमरीकी डॉलर की दादागिरी

#### पृष्ठ 6 का शेष

के तहत डॉलर, उसी दर पर सोने से जुड़ा रहा। कई देशों को समझ में आया कि क्या हो रहा था। 1960 के दशक में फ्रांसीसी सरकार से शुरू करके, कई सरकारों ने अपने डॉलर के भंडार के बदले, अमरीका से सोने की मांग शुरू कर दी।

1970 तक अमरीकी सोने का भंडार, 1941 में अपनी चरम सीमा की तुलना में आधे से भी कम हो गया था जो कि दुनिया के सोने के कुल भंडार का 25 प्रतिशत से भी कम हिस्सा था। अमरीकी सरकार ने महसूस किया कि डॉलर को सोने में बदलने की मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सोना नहीं होगा। अमरीकी राष्ट्रपति ने 15 अगस्त, 1971 को एक हुक्मनामा जारी करके यह घोषणा की कि अमरीकी डॉलर अब सोने में परिवर्तनीय नहीं होगा।

1971 में सोने से अलग होने के बाद, अमरीकी डॉलर के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए, अमरीका ने सऊदी अरब में राजशाही पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सऊदी अरब का तेल केवल अमरीकी डॉलर में ही बेचा जाए। अमरीका ने अरब के लोगों के क्रोध से सऊदी अरब के अलोकप्रिय शासकों का बचाव किया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में सऊदी अरब का दबदबा था। सऊदी के शासकों

ने ओपेक में अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर यह सुनिश्चित किया कि तेल का कारोबार अमरीकी डॉलर में ही हो। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि अमरीकी डॉलर की मांग उतनी ही बनी रहेगी क्योंकि तेल को खरीदने में सक्षम होने के लिए, देशों को डॉलर के भंडार को

की दादागिरी और अमरीकी सैन्य ताक़त के कारण, अमरीका ये प्रतिबंध लगाने में समर्थ है। जब अमरीका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, तो हकीकत में इसका मतलब यह होता है कि वह सभी देशों पर ईरान के साथ व्यापार न करने का बदाव डालता है। यदि कोई देश प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार

**अमरीका उन देशों, जो उसके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ़**

**अमरीकी डॉलरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में इस्लिये कर पाता है,**

**क्योंकि अमरीकी डॉलर को दुनिया में रिज़र्व मुद्रा का दर्जा प्राप्त है।**

बनाए रखने की आवश्यकता होगी। तेल का व्यापार केवल अमरीकी डॉलर में ही करने के लिए, अमरीका के साथ सऊदी अरब की सहमति ने अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भले ही डॉलर अब सोने से जुड़ा नहीं है।

#### बतौर हथियार अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल

अमरीका उन देशों, जो उसके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ़ अमरीकी डॉलरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में इस्लिये कर पाता है, क्योंकि अमरीकी डॉलर को दुनिया में रिज़र्व मुद्रा का दर्जा प्राप्त है। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान जैसे देश इस समय अमरीका द्वारा लगाये गए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। यह यदि रखना महत्वपूर्ण है कि अमरीकी डॉलर

करना जारी रखता है तो उस देश पर या कम से कम, व्यापार करने वाली कंपनी पर, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दंडात्मक कार्रवाई के रूप में हो सकता है कि वह देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अमरीका या उसके सहयोगियों को निर्यात न कर सके या उसके डॉलर-खातों को फ्रीज़ कर दिया जाए, या उसे स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा देने वाले संस्थानों का उपयोग करके धन हस्तांतरित करने पर रोक लगाई जाये, आदि – इन तरीकों से उस देश या उस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों से लाभ उठाने से रोका जा सके।

#### मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : [hindi.cgpi.org](http://hindi.cgpi.org), अंग्रेजी : [www.cgpi.org](http://www.cgpi.org), मराठी : [marathi.cgpi.org](http://marathi.cgpi.org)

पंजाबी : [punjab.cgpi.org](http://punjab.cgpi.org), तामिल : [tamil.cgpi.org](http://tamil.cgpi.org)

</div

To .....  
.....  
.....  
.....  
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइज़, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक—  
मधुसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020  
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp  
9868811998

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :  
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

## हरियाणा सरकार किसानों की मांगों के आगे झुकी

मज़दूर एकता कमेटी के संघादाता की रिपोर्ट

**13** जून, 2023 को हरियाणा सरकार ने 13 राज्य के किसानों की सूरजमुखी के बीज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देने, गिरफ्तार किसानों की रिहाई सहित अन्य मांगों को मान लिया है। इसी के साथ सूरजमुखी फ़सल की एम.एस.पी. को लेकर, 6 जून से चल रहा आंदोलन उसी दिन शाम को ख़त्म हो गया।

विदित है कि हरियाणा के किसान लंबे समय से सूरजमुखी के बीज पर समर्थन मूल्य 6,400 रुपए प्रति कुंटल के भाव सहित, सभी फ़सलों पर एम.एस.पी. की मांग कर रहे थे। सरकार किसानों की इन मांगों को अनुसन्धान कर रही थी। किसानों ने 6 जून, 2023 को कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की अगुवाई में दिल्ली-अमृतसर रोड पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने जायज़



मांगों को सुनने के बजाय, दमन का रास्ता अपनाया। किसानों पर लाठी चार्ज किया। लगभग 35 किसानों को गंभीर चोटें आई थीं और किसानों सहित, उनके नेताओं

को धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकार के द्वारा किसानों के प्रदर्शन पर इस बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में

किसान संगठनों ने 12 जून, 2023 को कुरुक्षेत्र स्थित पिपली अनाज मंडी में विशाल पंचायत बुलाई। इसमें 50 हजार से ज्यादा किसान शामिल हुए। इसमें पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से किसान ट्रेक्टर, जीप, बस, कार, बाइक से शामिल हुए। पंचायत में किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने दमनकारी कदम को रोके, सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा करें, घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवज़ा दे और किसानों को सूरजमुखी के बीज की फ़सल के लिए एम.एस.पी. सुनिश्चित करें।

इसके बाद, हजारों किसानों ने अपने झंडे और बैरनों के साथ राष्ट्रीय मार्ग को जाम दिया।

<http://hindi.cgpi.org/23692>

### भ्रायानक ऐल हादसा :

## सैकड़ों जिंदगियों का दुःखद अंत

2 जून की शाम को ओडिशा राज्य में बालासोर के पास दो यात्री रेलगाड़ियों और एक मालगाड़ी की टक्कर में 280 से अधिक लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग्रद पार्टी उन लोगों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, या गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

पिछले 20 सालों में यह देश की सबसे भीषण रेल त्रासदी है।

कोलकाता से चेन्नई के बीच चलने वाली कोरोमेंडल एक्सप्रेस करीब 130 किमी/घंटा की रफ़तार से शुक्रवार की शाम करीब सात बजे एक खड़ी मालगाड़ी

से टकरा गई, जिसके कारण वह पटरी से उत्तर गई। फिर उसी मालगाड़ी के डिब्बे, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों से टकरा गए, जो बगल के ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही थी और बैंगलुरु से आते हुए कोलकाता जा रही थी।

सरकार ने रेल दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि वह दुर्घटना के "मूल कारण" को जानते हैं, लेकिन जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही इसका खुलासा करेंगे।

अतीत में जब भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो अधिकारी तुरंत उसका दोष भारतीय रेल के कर्मचारियों — रेल चालकों, ट्रैक अनुरक्षकों (गेंगमैनों), स्टेशन मास्टरों आदि

के कंधों पर डालते रहे हैं। वे जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के टाले जा सकने वाले नुकसान के मुख्य कारणों को छुपाते रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग्रद पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि जिस दुर्घटना ने इतने लोगों की कीमती जान ली है, उसे पूरी तरह से टाला जा सकता था। दशकों से भारतीय रेल द्वारा, रेल सुरक्षा की उपेक्षा की गई है। सत्ताधारी पूँजीपति वर्ग ने दिखा दिया है कि उसे रेलगाड़ी से सफर करने वाले मेहनतकश लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले करोड़ों मज़दूर और अन्य मेहनतकश लोग जोखिम में हैं और अक्सर वे कष्ट सहते हैं।

रेलवे में तीन लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के

लिए आवश्यक हजारों महत्वपूर्ण पद वर्षों से खाली पड़े हैं। सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक धन खर्च नहीं किया जाता।

अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा को लेकर रेलवे मज़दूरों की यूनियनें लगातार अपनी चिंता प्रकट करती रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। इसलिए सैकड़ों लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के लिए, रेलवे अधिकारी और केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ओडिशा में हुई इस भ्रायानक रेल दुर्घटना के लिये, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, उसके लिए रेलवे अधिकारियों और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

<http://hindi.cgpi.org/23683>

### मणिपुर में क्या समस्या है और इसे कौन पैदा कर रहा है?

#### पृष्ठ 2 का शेष

दावा करते हैं। दोनों मिलजुलकर, अफ़ीम की खेती, नशीली दवाओं की तस्करी और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से तस्करी, आदि को अंजाम देते हैं। वे परजीवियों की तरह लोगों का खून चूसते हैं और अपनी—अपनी तिजोरियां भरते हैं। मणिपुर में चुनकर आई सरकारें केंद्रीय राज्य की देखेखेख में, विभिन्न सशस्त्र गिरोहों के साथ नज़दीकी से मिलजुलकर काम करती हैं। यह सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा हद तक पता होने लगा है।

अब वहाँ सैनिक शासन को जायज़ ठहराने के लिए एक नया कारण दिया जा रहा है। लोगों को एक—दूसरे का जनसंहार करने से रोकने के नाम पर, सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जा रहा है।

1990 के दशक से, हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग "पूर्व की ओर देखो" की नीति को अपना रहा है। यह चीन के साथ स्पर्धा में, दक्षिण—पूर्व एशिया में हिन्दोस्तानी साम्राज्यवादी प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से बनाई गयी एक नीति है। हिन्दोस्तान से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक सड़क और रेल मार्ग बनाने की योजना है, जो मणिपुर और म्यांमार से होकर गुज़रेगा। हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग को मणिपुर के लोगों को अपने अधीन रखने के लिए, वहाँ सैनिक शासन और आपस्पा को जारी रखने का एक नया बहाना देने की ज़रूरत है।

#### आगे बढ़ने का रास्ता

मणिपुर के लोगों के लिए आगे का रास्ता अपनी एकता को बनाये रखना और अपने सांझे संघर्ष की हिफाज़त करना तथा उसे मजबूत करना है। हुक्मरान वर्ग की पैशाचिक साजिशों को नाकामयाब करना

होगा। वर्तमान स्थिति में देश की सभी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताक़तों को यह मांग करनी चाहिए कि मणिपुर पर सैनिक कब्जे और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद को फौरन रोक दिया जाए।

मणिपुर के लोगों का, अपने मानवीय, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय अधिकारों की हिफाज़त के लिए एकजुट संघर्ष करने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हजारों देशभक्त शहीद हुए हैं। फिर भी मणिपुरी लोगों ने अपना जायज़ संघर्ष कभी नहीं रोका है।

सरमायदारों की हुक्मशाही के मौजूदा राज्य से पीड़ित सभी लोगों को एकजुट होकर, इसकी जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुक्मत के नए राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से संघर्ष करना होगा। दमनकारी उपनिवेशवादी रूप के हिन्दो